न्यायालय उपजिला कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी) टोडाभीम जिला करौली

मुकदमा नं. [illegible]   [illegible] अधिनियम
[illegible]

1 [illegible] पिसरान मुकुन्दी जाति [illegible] निवासी
2 [illegible] किरवाड़ा तहसील टोडाभीम जिला करौली
वादीगण

बनाम

1	[illegible]	पिसरान प्यारेलाल	[illegible] जाति मीणा
2	[illegible]		निवासी किरवाड़ा
3	श्रीमोहन		तहसील टोडाभीम
4	[illegible]	पिसरान [illegible]	जिला करौली
5	सुरेश		राजस्थान
6	[illegible]		

7 लक्ष्मी पुत्र रामकिशन जाति बैरवा निवासी किरवाड़ा तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान
8 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील टोडाभीम
प्रतिवादीगण

दावा बावत इस्तकरार हक(इन्द्राज दुरूस्ती)
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :- 1. श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट वादीगण
2. श्री बलवीरसिंह चौहान एडवोकेट प्रतिवादी [illegible]

निर्णय   दिनांक 19.03.2009

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा वावत इस्तकरार हक ,इन्द्राज दुरूस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर अवगत कराया है कि विवादित आराजी मुतजिक़ा मद नं01 वाद पत्र खसरा नम्बर 47 रकवा 29 एयर, 51 रकवा 28 एयर, 53 रकवा 3 एयर, 1808 रकवा 24 एयर, 1809 रकवा 46 एयर,1824 रकवा 57 एयर, 46 रकवा 4 एयर कुल किता 7 कुल रकवा 1.91 है0 ग्राम किरवाडा तहसील टोडाभीम में स्थित है। जो वर्तमान में वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा भूमि खसरा नम्बर 1808,1809,1824 को सेटिलमेन्ट कर्मचारियों ने साविक खसरा नम्बर 1103मिन रकवा 5 बीघा से कायम किया है। लेकिन सेटिलमेन्ट कर्मचारियों ने नवीन रिकार्ड एकदम गलत बनाया है। नवीन खसरा नम्बरान का रकवा तो पूरा कर दिया है लेकिन मौके पर पूरा नहीं होता है। खसरा नम्बर 1813 रकवा 54 एयर, 1814 रकवा 58 एयर, 1823 रकवा 18 एयर कुल किता 3 कुल रकवा 1.30 है0ग्राम किरवाडा तहसील टोडाभीम की खातेदारी प्रतिवादी सं07 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि साविक खसरा नम्बर 1103 रकवा 5 बीघा से अंकित किये हैं।जबकि खसरा नम्बर 1823 पर वादी का कब्जा है। तथा खसरा नम्बर 1813,1814 को मिलाकर प्रतिवादी सं07 का रकवा पूरा हो जाता है।क्योंकि वे एक ही स्थान पर हैं।इसलिए वादीगण खसरा नम्बर 1823 की खातेदारी अपने नाम कराने का हकदार है। तथा खसरा नम्बर 1823,1824 का एक ही हिस्सा है तथा इन दोनों नम्बों को मिलाकर ही उनका रकवा 57 एयर होता है जबकि खसरा नम्बर 1813,1814 का रकवा 1.25 है0 हो जाता है। विवादित आराजीयात मुतजिक़ा मद नं01 वाद पत्र पूर्व में वादीगण के पिता मुकुन्दी की खातेदारी में थी।तथा वादीगण अपने पिता के समय से ही उक्त आराजीयात को काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण ने खसरा नम्बर 1808 में उत्तरी पश्चिमी कोने में एक टयूबबैल लगा रखी है।जिसमें कनैक्शन लगा हुआ है। प्रतिवादीगण राजनैतिक पहुॅच व पैसे वाले मुठमर्द व्यक्ति हैं तथा गरीब लोगों को हैरान परेशान कर आराजीयात को छीनने

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

पर उतारू रहते हैं। अब उनकी नजर वादीगण की आराजी पर है। बाका दिंनाक 20.01.2006 का है कि वादीगण अपनी आराजीयात की पिलाई कर रहे थे कि प्रतिवादीगण एक राय होकर आ गये और बोले कि नत्थी की जमीन पर कब्जा कर लिया है हमने नत्थी से जमीन खरीद ली है। यहाँ पर पानी है ।अब हम इसमें टयूबबैल लगायेंगें। इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया । लेकिन वे मानने को तैयार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी भी पूरी नहीं हो सकेगी। इसलिए यह वाद दायर करना लाजमी हुआ है। अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1808 रकवा 24 एयर, 1809 रकवा 46 एयर, 1824 रकवा 57 एयर, 1823 रकवा 18 एयर कुल किता 4 कुल रकवा 1.45 है0 ग्राम किरवाडा पर मौके के अनुरूप रकवा 1.25 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा खसरा नम्बर 1813 रकवा 54 एयर, 1814 रकवा 58 एयर में रकवा 20 एयर को मिलाया जाकर उनका रकवा 1.32 है0 का प्रतिवादी सं07 खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 1823 से प्रतिवादी सं07 की खातेदारी से नाम हजफ फरमाया जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1808 रकवा 24 एयर, 1809 रकवा 46 एयर, 1824 रकवा 57 एयर, 1823 रकवा 18 एयर कुल किता 4 कुल रकवा 1.45 है0 ग्राम किरवाडा में रकवा 1.25 है0 में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत प्रतिवादीगण ना तो स्वंय करें ना किसी अन्य से करावें वादीगण को बेदखल कर कब्जा स्वंय नहीं करें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादीगण के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादी सं07,8 बावजूद तामील उपस्थित नहीं

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

//

हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 वाद तामील जरिये बकालतन उपस्थित आये तथा जबावदावा पेश कर अवगत कराया है कि विवादित आराजीयात पर वादीगण व उनके बुजुर्गों का आज तक कोई कब्जा किसी प्रकार का नहीं रहा है। दिंनाक 20.1.06 को प्रतिवादीगण से वादीगण की कोई बात नहीं हुई सब बातें मनगढंत व कपोल कल्पित अंकित की है। उक्त आराजीयात शुरू से ही प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में रही है और आज भी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 1823 व 1824 के कुछ भाग पर प्रतिवादीगण सं01 लगायत 6 काबिज काश्त पूर्व नम्बरों के अनुसार चले आ रहे हैं तथा प्रतिवादी सं03 श्रीमोहन व प्रतिवादी सं05 दिंनाक 20.01.2006को श्रीनगर में थे और वहॉ से नियमित विधार्थी के रूप में बी0एड0 कर रहे थें। वादीगण की खातेदारी की भूमि में से होकर गांव में सडक का निर्माण हुआ था जिसका मुआवजा वादीगण ने प्राप्त किया है। इस कारण वादीगण का 5 बीघा से रकवा कम हुआ है। वादीगण कोई भी रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण का सेटिलमेन्ट से पूर्व की तरह आज भी कब्जा है। जिसका वादीगण से कोई लेना देना नहीं है। वादीगण का मौके पर कब्जा नहीं है । कब्जे के अभाव में कोई रिलीफ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा एंव जबावदावा के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई है।

1. आया मद नं01 मुतजिका आराजी कुल किता 7 कुल रकवा 1.91 है0वर्णित आराजीयात की खातेदारी वर्तमान में वादीगण वहिस्सा बराबर रिकार्ड में अंकित है जिस पर वादीगण के अलावा किसी व्यक्तिय का कोई सम्बन्ध नहीं है। —— जिम्मे वादी

2. आया मद नं03 साविक खसरा नम्बर 1103 मिन रकवा 5 बीघा से तरमीम करके खसरा नम्बर 1808,1809,1824 नये नम्बर बनये हैं जिनका रकवा तो पूरा कर दिया है लेकिन मौके पर

उपजिला मजिस्ट्रेट
कोटपुतली (कठोती)

Scanned by CamScanner

से दर्शा दिया है।जबकि खसरा नम्बर 1823 को हाल खसरा नम्बर 1814 के पूर्वी भाग की तरफ दर्शाया जाना चाहिए था। क्योंकि साविक व हाल ट्रेश के मिलान करने पर यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाता है कि खसरा नम्बर 1823 को हाल नक्शा शीट में खसरा नम्बर 1824 के भाग में गलत रूप से वादीगण के कब्जा काश्त में दर्शा दिया गया है। तथा खातेदारी प्रतिवादी सं07 के नाम दर्ज कर दी है जिससे वादीगण के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। इसलिए वादीगण सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों के द्वारा की गई गलती की राजस्व सीट में दुरूस्ती कराने का पूर्ण अधिकार रखता है। अर्थात खसरा नम्बर 1823 को राजस्व सीट में खसरा नम्बर 1814 के हिस्से में पूर्व की तरफ दर्शाया जाना तथा खसरा नम्बर 1823 के भाग को खसरा नम्बर 1824 में समायोजित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत किसी प्रकार की ना तो स्वंय कर सकें ना ही किसी अन्य से करा सकें तथा वादीगण को बेदखलत कर स्वंय कब्जा नहीं कर सकें। प्रतिवादी सं01 ता 6 अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति हैं तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 7 अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी की भूमि में अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे हालात में वादीगण का दावा वावत इस्तकरार हक ,इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण वावत इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर खसरा नम्बर 1823 रकवा 18 एयर ग्राम किरवाडा को राजस्व सीट में खसरा नम्बर 1814 के पूर्वी भाग की तरफ डोटेड

उपखिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

लाईन से दर्शाया जावे तथा खसरा नम्बर 1823 के स्थान को राजस्व सीट में खसरा नम्बर 1824 में समायोजित (विलीन) कर दिया जावे। अर्थात खसरा नम्बर 1823 व 1824 के मध्य की लाईन को हजफ करते हुए एक ही खसरा नम्बर 1824 रखा जावे। तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगें। तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व सीट में अमल दरामद किया जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर वाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 19.03.2009 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम (करौली)

उपजिला कलक्टर,
टोडाभीम(करौली)

Scanned by CamScanner